न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :— 01 / 100 / 2014

1. गिर्राज पुत्र छाजूराम जैमन जाति ब्राहम्ण
2. मोहन लाल पुत्र नत्थूराम जाति ब्राहम्ण
3. मनोज कुमार पुत्र सत्यनरेश जैमन जाति ब्राहम्ण निवासीयान तालाब तहसील राजगढ जिला अलवर

..........वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र छाजूराम जाति ब्राहम्ण निवासी तालाब तहसील राजगढ जिला अलवर

.........प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित : 1. श्री मनीष दीक्षित एड0— वादी

निर्णय **दिनांक 31.03.2021**

1. आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 792 / 0.08, 2794 / 0.15, 2812 / 0.18, 2837 / 0.03, 2838 / 0.03, 2839 / 0.23, 2842 / 0.10, 2843 / 0.12, 3021 / 0.09, 3022 / 0.01, 3025 / 0.09, 2850 / 0.18, 3528 / 0.06, 3529 / 0.02, 3530 / 0.03, 3531 / 0.10 वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ में अवस्थित है। जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त [illegible] खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण कब्जे काश्तकार है। वादीगण अपनी [illegible]जी तक पहुचने के लिए प्रतिवादीगण की आराजी से होकर आते—जाते रहे है। लेकिन अब [illegible] प्रतिवादीगण के द्वारा [illegible]गण को अपनी आराजी तक पहुचने के लिए रूकावट मजाहमत पैदा हो रही है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:29 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के साथ झगडा–फसाद किया जा रहा है। यदि प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति हो सकती है। वाद पत्र की पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 333, जमाबंदी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 116 वाके ग्राम तालाब पेश की। अन्त में दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बाद सूचना तामिल हाजिर न्यायालय नही आये। उनकी एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ–पत्र स्वयं वादी का पेश किया गया। साक्ष्य शपथ–पत्र में उनके द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की व दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 333, जमाबंदी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 116 वाके ग्राम तालाब पेश की।

3. बहस वकील वादी एकतरफा सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील वादी के द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया गया कि वादीगण की हाल आराजी खसरा नम्बर 792/0.08, 2794/0.15, 2812/0.18, 2837/0.03, 2838/0.03, 2839/0.23, 2842/0.10, 2843/0.12, 3021/0.09, 3022/0.01, 3025/0.09, 2850/0.18, 3528/0.06, 3529/0.02, 3530/0.03, 3531/0.10 वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ में अवस्थित है। जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त की सहखातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण कब्जे काश्तकार है। वादीगण अपनी आराजी तक पहुचने के लिए प्रतिवादीगण की आराजी से होकर आते–जाते रहे है। लेकिन अब वर्तमान में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण को अपनी आराजी तक पहुचने के लिए रूकावट मजाहमत पैदा हो रही है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के साथ झगडा–फसाद किया जा रहा है। यदि प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति हो सकती है। वाद पत्र की पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 333, जमाबंदी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:29 IST
Reason: SelfAttested

116 वाके ग्राम तालाब पेश की। अन्त में दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया।

4. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अभिवचन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् तीन महत्वपूर्ण शर्ते इस प्रकार है कि–

> *(अ) वादी का विवादित आराजी पर स्वामित्व होना चाहिए। विवादित आराजी के संबंध में वादी ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है उस आराजी पर वादी का स्वामित्व होना अति आवश्यक है।*

5. प्रकरण में वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा वादी व प्रतिवादी की संयुक्त आराजी होने पर वादी व प्रतिवादी का उक्त आराजी पर प्रत्येक भाग पर मुताबिक हिस्सा संयुक्त स्वामित्व है। इसलिए वादी का उपरोक्त विवादित आराजी पर एकल स्वामित्व नही है क्योकि सहखातेदारी की आराजी का जब तक नियमानुसार बंटवारा नही हो जाता है तब तक सहखातेदारी की आराजी में सभी पक्षकारान का एक–एक इंच पर मुताबिक हिस्सा संयुक्त स्वामित्व रहता है ना कि एक पक्षकार का किसी विशिष्ट भाग पर स्वामित्व रहता है। अतः शर्त संख्या–1 वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित नही होने से अपूर्ण प्रतीत होती है।

> *(ब) वादी का विवादित आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन होना आवश्यक है। अर्थात् वादी का संबंधित आराजी पर विशिष्ट भाग पर नियमानुसार तकसीम के पश्चात् वैध कब्जा होना चाहिए।*

6. प्रकरण में वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी की संयुक्त आराजी है। जब तक मुतनाजा आराजी का नियमानुसार बंटवारा नही हो जाता तब तक सहखातेदारी की आराजी पर वादी या प्रतिवादी को किसी विशिष्ट भाग पर काश्त करने का कोई अधिकार (right) नही होता है। अतः शर्त संख्या–2 वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित नही होने से अपूर्ण प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:29 IST
Reason: Attested

> *(स) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा नही करने पर वादी को अपूरणीय क्षति सम्भावित है। अर्थात् आराजी मुतनाजा से अगर कब्जेकाश्त खातेदार वादीगण को दीगर व्यक्ति द्वारा आराजी मुतनाजा के*

उपभोग एवं आमद–रफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होना सम्भावित है।

7. उक्त मुतनाजा आराजी सहखातेदारी की आराजी है जिसमें सभी पक्षकारो का प्रत्येक भाग पर मुताबिक हिस्सा स्वामित्व एवं अधिकार है। यदि संयुक्त खातेदारी की आराजी में से कब्जेकाश्त खातेदार वादीगण को दीगर व्यक्ति द्वारा आराजी मुतनाजा के उपभोग एवं आमद–रफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होना सम्भावित है। विचाराधीन प्रकरण में वादी द्वारा केवल स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया है जबकि वादी को तकसीम का दावा प्रस्तुत करते हुये स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना चाहिये था। यह सुस्थापित नियम है कि सहखातेदार बिना बंटवारा करवाये संयुक्त खातेदारी की आराजी पर सहखातेदारो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है क्योंकि संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रत्येक इंच आराजी पर सभी सहखातेदारो का मुताबिक हिस्सा हक्क व कब्जा होता है। अतः प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के सहखातेदार होने व आराजी का बंटवारा नही होने के कारण वादी के पक्ष में शर्त संख्या–3 भी स्पष्ट रूप से पूर्ण होती हुई प्रतीत नही होती है। अतः सुस्थापित नियम को स्पष्ट रूप से साबित नही होने पर दावा वादी स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हाल आराजी खसरा नम्बर 792/0.08, 2794/0.15, 2812/0.18, 2837/0.03, 2838/0.03, 2839/0.23, 2842/0.10, 2843/0.12, 3021/0.09, 3022/0.01, 3025/0.09, 2850/0.18, 3528/0.06, 3529/0.02, 3530/0.03, 3531/0.10 वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ जिला अलवर वाद में **सुस्थापित नियम की पालना नही होने पर दावा वादी अस्वीकार किया जाता है।** *इसी अनुसार पर्चा डिक्री बनायी जावें।*

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:29 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/100/2014	दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा	07.04.2014	31.03.2021

1 गिर्राज पुत्र छाजूराम जैमन जाति ब्राहम्ण
2 मोहन लाल पुत्र नत्थूराम जाति ब्राहम्ण
3 मनोज कुमार पुत्र सत्यनरेश जैमन जाति ब्राहम्ण निवासीयान तालाब तहसील राजगढ जिला अलवर

.....वादीगण

बनाम्

1 ओमप्रकाश शर्मा पुत्र छाजूराम जाति ब्राहम्ण निवासी तालाब तहसील राजगढ जिला अलवर

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188

उपस्थित : 1. श्री मनीष दीक्षित एड0– वादी

पर्चा डिक्री **दिनांक 31.03.2021**

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हाल आराजी खसरा नम्बर 792/0.08, 2794/0.15, 2812/0.18, 2837/0.03, 2838/0.03, 2839/0.23, 2842/0.10, 2843/0.12, 3021/0.09, 3022/0.01, 3025/0.09, 2850/0.18, 3528/0.06, 3529/0.02, 3530/0.03, 3531/0.10 वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ जिला अलवर वाद में **सुस्थापित नियम की पालना नही होने पर दावा वादी अस्वीकार किया जाता है।**

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.03.2021 को सुनाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:29 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)